संख्या-297/2022/528रासनि/23-1-2022/005-27आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 21 सितम्बर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 19 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1333/CE-HQ-1/RSN 3054/LKO/2022-23, दिनांक 05.09.2022 एवं पत्र संख्या-1440/CE-HQ-1/RSN 3054/LKO/2022-23, दिनांक 12.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 19 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 2,63,36,000/- (रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-1 सीतापुर	पहला डामर रोड से चकवा सलोनी बीबीपुर मुमताजपुर सराय बलसिंहपुर रोड तक संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	40.05	4.01	1.15	34.89	7.43
2	प्रा.ख. सीतापुर	लहरपुर-तम्बौर मार्ग	93/2021/561 रासनि/23-1-21-51 रासनि/20	133.01	69.17	0.13	63.71	18.56
3	प्रा.ख. सीतापुर	खैरीपट्टी से खमरिया संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	70.4	7.04	0.13	63.23	14.02
4	नि.ख.-2 हरदोई	सिमरिया बानामऊ संपर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	160/2021/534 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी 2	131.46	65.73	0.00	65.73	19.72
5	नि.ख.-2 हरदोई	भटौली धरम संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	160/2021/534 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी 2	54.09	27.05	0.00	27.04	8.11
6	प्रा.ख. हरदोई	हरदोई पिहानी चपरतला मार्ग की चैनेज 28.00 से 41 एवं	59/2020/595 रासनि/23-1-20-	1387.41	1212.44	4.85	170.12	26.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43.200 तक मार्ग का आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत सतह सुधार का कार्य।	47 रासनि/20 टीसी-1					
7	प्रा.ख. लखनऊ	लखनऊ कानपुर मार्ग से हरदोई तथा हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग (रिंग रोड) 08 लेन चैनेज 15.500 से कि0मी0- 22.407 तक विशेष मरम्मत का कार्य।	68/2020/582 रासनि/23-1-20-54 रासनि/20	229.02	197.15	1.87	30.00	15.00
8	प्रा.ख. लखनऊ	गांधी सेतु से निर्मित 8 लेन सेतु होते हुए एल0डी0ए0 कार्यालय के सामने तक मार्ग के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य	113/2021/605 रासनि/23-1-21-75 रासनि/20	90.26	81.23	2.00	7.03	7.03
9	प्रा.ख. लखनऊ	उत्तरधौरा से घुरू का पुरवा संपर्क मार्ग में आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का पुर्ननिर्माण का कार्य।	160/2021/534 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी 2	63.73	31.86	2.64	29.23	8.24
10	प्रा.ख. लखनऊ	लखनऊ कुर्सी मार्ग के किमी0-5 (मामा चौराहे) से निकलकर केन्द्रीय विद्यालय होते हुए रिंग रोड तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	148.42	0.34	8.50	139.58	16.34
11	प्रा.ख. लखनऊ	बालाजी मंदिर से तालकटोरा कर्बला होते हुए रानी लक्ष्मीबाई अस्तपताल तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	52/2022/1950 रासनि/23-1-21-120 रासनि/20	35.54	0.20	1.48	33.86	8.05
12	नि.ख.-1 रायबरेली	सलोन रसूलपुर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य(बोगी एक्शन)	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	65.63	6.56	19.05	40.02	10.01
13	नि.ख.-1 रायबरेली	बारा संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य किमी-1 से 3	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	44.10	4.41	0.00	39.69	8.82
14	नि.ख.-1 खीरी	रामनगर लहबड़ी से बांछेपारा वाया बिन्जहा संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य किमी0-1	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	45.53	4.55	6.04	34.94	11.39
15	प्रा.ख. खीरी	खजुरी बधिया संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	49.26	4.93	7.53	36.80	12.32
16	प्रा.ख. खीरी	गफ्फारनगर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	46.32	4.63	0.44	41.25	11.58
17	प्रा.ख. खीरी	गौरिया संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	53.28	5.33	0.11	47.84	13.32
18	प्रा.ख. लखनऊ	मंत्री आवास के सामने (हनीमैन) उपरगामी रेलवे सेतु से लोहिया	309/2021/1301 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0	475.90	16.24	8.50	451.16	29.73

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		पथ तक रेज फुटपाथ, लेवल फुटपाथ तथा नाली की विशेष मरम्मत का कार्य। (चैनेज 0.750 से 2.00 बांयी तरफ एवं चैनेज 0.00 से 2.70 दायंी तरफ)						
19	प्रा.ख. लखनऊ	राजाजीपुरम में कोठारी बांध सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	52/2022/1950 रासनि/23-1-21-120 रासनि/20	138.35	0.33	5.00	133.02	17.29
							कुल योग-	263.36

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल रू0 2,63,36,000/- (रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-297/2022/528रासनि(1)/23-1-22/005-27आरएसएन/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।